

उनवान

1. श्रीमति संतोष देवी पत्नी जगदीश चन्द खटिक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री बालू पिता जोधा खटिक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. श्री राधेश्याम पिता श्री छोगा लाल सोमाणी निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. श्री सत्यनारायण पिता श्री छोगा लाल सोमाणी निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. श्री शंकरलाल पिता श्री घीसा खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. श्री श्यामलाल पिता श्री घीसा खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. श्री सत्यनारायण पिता श्री घीसा खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7. श्री रमेश श्री घीसा खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 25.06.2019


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम मंगरोप पटवार मंगरोप भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी 3994/2943 रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 4158/4063 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि कित्ता 2 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं गण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन गर किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के वक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 08 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के अन्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार लेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व रित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते कृषि भूमि आराजी नम्बर 3994/2943 रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 4158/4063 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि कुल कित्ता 2 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड यम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 10/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार दसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल मार होकर दाखिल दफ्तर रहे।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ